दुकान आवंटन हेतु निर्धारित शर्ते

1. संस्था के आवेदक होने की दशा में आवेदक को संस्था द्वारा दुकान संचालन हेतु लिखित रूप में अधिकृत होना चाहिए। तत्सम्बन्धी अधिकृत–पत्र आवेदक के पास होना अनिवार्य है।
2. दुकान केवल आवंटी व्यक्ति/फर्म द्वारा ही संचालित की जायेगी। ऐसा न होने पर रू0 50,000.00 (पचास हजार रूपये) का अर्थदण्ड वसूला जायेगा।
3. एक आवेदक अधिकतम दो दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है किन्तु दो दुकानों हेतु आवेदन करने पर दूसरी दुकान इस शर्त पर ही आवंटित की जाएगी कि दोनो दुकाने एक ही स्थल पर हों एवं एक दूसरे से मिली हुई हों। दूसरी दुकान अन्य़त्र स्थान पर किसी भी दशा में आवंटित नही की जायेगी।
4. यदि कोई व्यक्ति/फर्म धनिर्धारित दो से अधिक दुकानों का संचालन करते हुए पाया जायेगा तो प्रत्येक अतिरिक्त दुकान के लिए संम्बन्धित व्यक्ति/फर्म से 50,000.00 (पचास हजार रूपये) दण्ड वसूलते हुए पूर्व में आवंटित दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं उक्त दुकानें किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को आवंटित कर दी जायेगी।
5. आवंटी को दुकान आंवटन होने पर अनिवार्य रूप से शीघ्र ही आवंटित दुकान को तैयार करना होगा।
6. दुकान/स्टॉल आवंटन निरस्त होने पर आवेदन शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।
7. आवंटी को जिस प्रयोजन हेतु दुकान आवंटित की गयी है, केवल उसी प्रयोजन हेतु उपयोग कर सकेगा, अन्यथा दुकान आवंटन निरस्त किया जायेगा।
8. दुकान/स्टॉल के आवेदन के लिये आवेदक द्वारा स्वयं की दुकान/फर्म का जी0एस0टी0/पैन कार्ड लगाना आवश्यक होगा।
9. वर्तमान में नगर क्षेत्र में पॉलीथीन पूर्णतः से प्रतिबन्धित है, पकड़े जाने पर रू0–500.00 से 50,000.00 तक का अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा सकती है।
10. आंवटित दुकान किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने पर या विक्रय करने पर दण्ड के रूप में रू0 50,000–00 (रू0 पचास हजार मात्र) का अर्थदण्ड आवंटी से वसूला जायेगा तथा आवंटी के विरुद्व दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी। अर्थदण्ड जमा न करने पर दण्ड की धनराशि भू–राजस्व के बकाये के रूप में बसूला जायेगा।
11. दुकान आवंटन पत्र/रसीद मेला अवधि के दौरान दुकान पर ही रखनी अनिवार्य होगी तथा अधिकृत अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
12. सट्टा–जुआ या कोई भी प्रतिबन्धित सामाग्री दुकान/स्टाल में नही लगाये जायेगें व अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णरूप से प्रतिबन्धित होगी। पकड़े जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
13. किसी भी शर्त का उलंघन करने पर आंवटित दुकान को तत्काल निरस्त कर किसी अन्य व्यक्ति को आंवटित किये जाने का पूर्ण अधिकारी मेलाधिकारी गौचर मेला/उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग को होगा।
14. दुकान आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने गृह जनपद के स्थानीय थाने/तहसील कार्यालय से चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।
15. प्रत्येक आवंटित दुकान पर आवंटी द्वारा अग्निरोधी व्यवस्थाओं हेतु प्रत्येक दुकान पर (02) दो रेत से भरी बाल्टियां एवं (02) दो FIRE EXTINGUISHER CYLINDER रखने अनिवार्य होंगे। इसका उल्लंघन पाये जाने पर मेला–समिती द्वारा धनराशि रू0 50,000.00 (पचास हजार रूपये मात्र) का जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।

दिनांकः अक्टूबर, 2024

मेलाधिकारी गौचर मेला/
उप जिलाधिकारी,
कर्णप्रयाग।